

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस सं०.****-336 वर्ष 2026**

सतनाम सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से और एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (ओं) के अधिवक्ता : रमाकर शुक्लाप्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13**माननीय सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति**

- माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किया गया प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- मामले को पुकारा गया। नोटिस तामीला के पश्चात, निजी प्रतिवादी पक्ष संख्या 2/सूचनाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, जैसा कि आज न्यायालय में राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रति-शपथ-पत्र के संलग्नक सं०. सी.ए.-1 से प्रतीत होता है। माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में, और साथ ही इस न्यायालय के दिनांक 10.03.2026 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कहा गया है कि "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख पर, यदि तामीला पर्याप्त पाया जाता है और प्रतिवादी सं०. 2 की ओर से वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा और पहली ही सुनवाई में एक उचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिवादी सं०.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2 के प्रतिकूल आदेश भी शामिल हो सकता है", न्यायालय ने इस मामले में आगे की कार्यवाही की।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं, तथा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

4. वर्तमान अग्रिम जमानत अर्जी आवेदक द्वारा प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं०.918 वर्ष 2025 के संबंध में, अंतर्गत धारा 351(3), 232, 308(5), 108 बी.एन.एस., थाना-कोतवाली नगर, जिला-सुल्तानपुर में दायर की गई है।

5. दिनांक 19.02.2026 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। संदर्भित, आदेश दिनांक 19.02.2026, निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत अर्जी आवेदक द्वारा प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं०. 624 वर्ष 2025 के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में "बी.एन.एस.") अंतर्गत धारा 351(3), 232, 308(5), 108 बी.एन.एस., थाना-कोतवाली नगर, जिला-सुल्तानपुर में दायर की गई है।

3. वर्तमान आवेदन पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।

4. आगे यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, यह आत्मदाह का मामला है और मृत्यु से पूर्व, मृतक का बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत आवश्यक रूप से दर्ज किया गया था; और उस बयान को सरसरी तौर पर देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक ने वर्तमान आवेदक का नाम नहीं लिया है।

5. यह भी कहा गया है कि आवेदक को इस मामले में इसलिए फंसाया गया है, क्योंकि वह सह-आरोपी सतप्रीत सिंह का सगा भाई है, सतप्रीत सिंह पर ही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पीड़ित ने विशेष आरोप लगाए थे और जिसकी दुकान के सामने ही पीड़ित ने आत्महत्या की थी।

6. आगे यह भी कहा गया है कि प्रस्तुत मामला पूर्णतः आत्महत्या का मामला है, और जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य' आपराधिक अपील संख्या 592-एसबी वर्ष 1997; निर्णय दिनांक 27-05-2008 (पी और एच) के मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया है, "कोई महिला कई कारणों से आत्महत्या करने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि, डिप्रेशन, आर्थिक परेशानियाँ, प्यार में निराशा, घरेलू चिंताओं से ऊब जाना, गंभीर या पुरानी बीमारियाँ वगैरह और यह ज़रूरी नहीं कि इसके पीछे किसी का उकसाना ही वजह हो।"

7. आगे यह भी कहा गया है कि, यह देखते हुए कि यह आत्महत्या का मामला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2020) 10 एससीसी 200 और जियो वर्गीस बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 873 के मामलों में की गई टिप्पणियों के आधार पर, आवेदक ज़मानत का हकदार है।

8. प्रभास कुमार मिश्रा उर्फ प्रभास मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2024) 3 एससीसी 665 मामले में 05.03.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में की गई टिप्पणियों के आधार पर, यह भी कहा गया है कि केवल सुसाइड नोट के आधार पर दोषसिद्धि का फैसला नहीं सुनाया जा सकता; और किसी आरोपी को धारा 108 बी.एन.एस.के तहत दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह धारा 108 बी.एन.एस.के अंतर्गत बताए गए आवश्यक तत्वों को सिद्ध करे।

9. यह भी कहा गया है कि आवेदक के विरुद्ध की गई धारणा खंडनीय है, और यह अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह सर्वप्रथम अपने मामले को इस प्रकार स्थापित करे, जिससे कि उपर्युक्त सांविधिक प्रावधान लागू हो सके।

10. आगे यह भी निवेदन है कि सह-आरोपी अजीत कौर और सतप्रीत सिंह को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.02.2026 और 18.02.2026 के माध्यम से, जो क्रमशः आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 887 वर्ष 2026 और आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 1191 वर्ष 2026 में पारित किए गए

थे, पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11. यह निवेदन है कि उपर्युक्त तथ्यों को, और साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह आत्महत्या का मामला है, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों, जिनमें ऊपर संदर्भित निर्णय भी शामिल हैं, में की गई टिप्पणियों के आधार पर, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा, और अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

12. उपर्युक्त के आधार पर, प्र.सू.रि. में आवेदक के विरुद्ध अभियोजन मामले को देखते हुए, और ऊपर संदर्भित निर्णयों के आलोक में, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक अंतरिम संरक्षण का पात्र है।

13. तदनुसार, एक अंतरिम उपाय के रूप में यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक सतनाम सिंह को उपर्युक्त मुकदमा अपराध (उपरोक्त) में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए; इसके लिए उसे 25,000/- रुपये का एक निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो प्रतिभू (जिनमें से एक परिवार का सदस्य हो) संबंधित पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी /न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत करने होंगे।

(i) कि अभियुक्त-आवेदक पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए, जब भी आवश्यकता हो, स्वयं को उपलब्ध कराएगा और जाँच में सहयोग करेगा;

(ii) आरोपी-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके; और

(iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

14. संबंधित एसएचओ द्वारा शिकायतकर्ता को वर्तमान मामले की स्थिति से अवगत कराया जाए।

15. सम्मानित अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की सूचना संबंधित एसएचओ को तत्काल दें, और जब अगली बार यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो, तब संबंधित एसएचओ द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़ित को दी गई जानकारी के संबंध में साक्ष्य एक शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें।

16. इस आवेदन को 10.03.2026 को शीर्ष 20 मामलों के अंतर्गत सूचीबद्ध/प्रस्तुत किया जाए।

17. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस आवेदन के जवाब में एक शपथ-पत्र दाखिल कर सकते हैं।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, अभिलेख से यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि जमानत अर्जी में कोई ऐसा प्रतिकूल तथ्य प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय का यह निर्णय है कि मामले के गुण-दोष पर विचार करने के उपरांत आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता भी ऐसा कोई तथ्य नहीं बता पाए, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक ने जाँच की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है, अथवा ऐसा कोई अन्य स्पष्ट तथ्य, जो मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके।

7. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और आवेदक—**सतनाम सिंह** को मुकदमे के निपटारे तक अग्रिम जमानत **स्वीकार** किया जाता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- (i) यह कि अभियुक्त-आवेदक पुलिस अधिकारियों के समक्ष पूछताछ के लिए जब भी आवश्यक होगा उपस्थित होगा;
- (ii) यह कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे/उसकी ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (iii) यह कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा;

(iv) यह कि आवेदक हर निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए; और

(v) यह कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

8. चूक होने की स्थिति में, जांच अभिकरण के पास इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।

17 मार्च 2026

अरुण/-

(सौरभ लवानिया, न्यायाधीश)